प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 403/2023

अनवान : –

1. महेन्द्र सिंह पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. मांगीलाल पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. जयवीर पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. दयाराम पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. खेताराम पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. अनिता पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. अन्जुबाला पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. अन्जना पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
6. अनिल कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
7. रवन्ती देवी पुत्री हंसराज जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
8. मोहनी पुत्री हंसराज जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
9. मानाराम पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 30.05.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 672/644 की कुल 15.3020 हैक्ट भूमि जिसमें संयुक्त रूप से हंसराज पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर का 11887/30604 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है एवं खाता स0 110/711 की 0.7330 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 2 अकेला 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण स0 3 ता 6 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

हंसराज पुत्र भूराराम जाति जाट साकिन सोनड़ी फौत हो चुके है उनकी पत्नी बाधो देवी भी फौत हो चुकी है तथा हंसराज पुत्र भूरा[illegible] एक लड़का जगदीश प्रसाद भी फौत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवा[illegible] भूमि हंसराज पुत्र भूराराम जाति जाट की फौतदगी के बाद [illegible] नाम दर्ज होनी है [illegible]न्दु उतराधिकारी अधिनियम के अनुसार उनके पुत्रगण एवं पुत्रीयान [illegible]म श्रेणी के वारिसान [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:31 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वाद भूमि बतौर कर्ता खानदान एवं विधिक उतराधिकारी होने के कारण प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होनी है तथा उपरोक्त कृषि भूमि उनके वारिसान के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज होनी है इसलिए प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 के नाम दर्ज होनी वाली कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है।

प्रतिवादीगण स0 7 ता 8 वादीगण की बुआ एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 की बहिन है एवं प्रतिवादी स0 3 की ननद है प्रतिवादीगण स0 4 ता 6 की बुआ है। प्रतिवादीगण स0 4 व 5 ने खाता स0 110/711 में अपना जो भी हक हिस्सा है अपनी माता व भाई के पक्ष में परित्याग कर दिया है। रोही मौजा सोनड़ी के खाता स0 672/644 की कुल 15.0320 हैक्ट भूमि में मृतक हंसराज पुत्र भूराराम के नाम दर्ज हक व हिस्सा में वादीगण स0 1 ता 2 बहिब 1.651 हैक्ट भूमि एवं वादी स0 3 अकेला 1.651 हैक्ट भूमि, प्रतिवादीगण स0 3 ता 6 बहिब 1.651 हैक्ट कृषि भूमि एवं प्रतिवादी स0 9 अकेला 0.9905 भूमि के खातेदार काश्तकार रहेगे एवं खाता स0 110/711 की कुल 0.7330 हैक्ट भूमि में वादी स0 3 अकेला 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण स0 3 व 6 प्रत्येक 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार रहेगा। इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 9 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा सोनड़ी खाता स0 672 व 110 प्रदर्श 1, 2, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बहक बाधोदेवी प्रदर्श–3, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बहक हंसराम प्रदर्श–4, असल प्रति सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श–5, शपथ पत्र बाबत सदस्य प्रदर्श–6 आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 9 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:31 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का [illegible] किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के [illegible] 15.3020 हैक्ट भूमि जिसमें संयुक्त रूप से हंसराज पुत्र [illegible] निवासी सोनड़ी तहसील नोहर का 11887/30604 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है [illegible] खाता स0 110/711 की 0.7330 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 2 अकेला 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण स0 3 ता 6 प्रत्येक का 1/12

हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 9 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 672/644 की कुल 15.0320 हैक्ट भूमि में मृतक हंसराज पुत्र भूराराम के नाम दर्ज हक व हिस्सा में वादीगण स0 1 ता 2 बहिब 1.651 हैक्ट भूमि एवं वादी स0 3 अकेला 1.651 हैक्ट भूमि, प्रतिवादीगण स0 3 ता 6 बहिब 1.651 हैक्ट कृषि भूमि एवं प्रतिवादी स0 9 अकेला 0.9905 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं मृतक हंसराज पुत्र भूराराम का नाम कलमजन किया जाता है तथा खाता स0 110/711 की कुल 0.7330 हैक्ट भूमि में वादी स0 3 अकेला 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण स0 3 व 6 प्रत्येक को 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तथा उक्त खाता में प्रतिवादी स0 2 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30.5.23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–सोनड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 403/2023

अनवान : –

1. महेन्द्र सिंह पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. मांगीलाल पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. जयवीर पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. दयाराम पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. खेताराम पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. अनिता पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. अन्जुबाला पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. अन्जना पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
6. अनिल कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
7. रवन्ती पुत्री हंसराज जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
8. मोहनी पुत्री हंसराज जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
9. मानाराम पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 403 सन 2023 निर्णय दिनांक 30.05.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 672/644 की कुल 15.0320 हैक्ट भूमि में मृतक हंसराज पुत्र भूराराम के नाम दर्ज हक व हिस्सा में वादीगण स0 1 ता 2 बहिब 1.651 हैक्ट भूमि एवं वादी स0 3 अकेला 1.651 हैक्ट भूमि, प्रतिवादीगण स0 3 ता 6 बहिब 1.651 हैक्ट कृषि भूमि एवं प्रतिवादी स0 9 अकेला 0.9905 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं मृतक हंसराज पुत्र भूराराम का नाम कलमजन किया जाता है तथा खाता स0 110/711 की कुल 0.7330 हैक्ट भूमि में वादी स0 3 अकेला 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण स0 3 व 6 प्रत्येक को 1/4 हिस्से के खातेदार [illegible] घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते [illegible] के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैं[illegible] रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:31 IST
Reason: SelfAttested

किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 30/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–सोनड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:31 IST
Reason: SelfAttested